छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्र. 2541 / एफ–7–24 / 31 / एस–2 / 2017, नवा रायपुर, दिनांक 14 / 06 / 2021

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय के कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्य (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फास्ट ट्रेक के अन्तर्गत) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :– प्र.अ. का पत्र क्र.–1210 / R.A.A. / बो.प्र. / PMKSY/RAA / 2019 / 9167, दिनाँक 14.10.2020.

––00––

राज्य शासन एतद् द्वारा बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय के कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्य (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फास्ट ट्रेक के अन्तर्गत) हेतु लागत राशि रु. 3297.35 लाख (रुपये बत्तीस करोड़ सत्तानवे लाख पैंतीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से 8300 हेक्टेयर में कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्य किया जाना प्रस्तावित हैं।

3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।

4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।

5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–75, लेखा शीर्ष–4700–वृहद परियोजना, [01] खारंग जलाशय, (5516)–वृहद सिंचाई परियोज़ना निर्माण कार्य (नाबार्ड), #26–वृहद निर्माण कार्य 005–बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक–114 / बजट–2 / वित्त / चार / 2021, दिनांक 07.06.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।

9. संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
16 JUN 2021
कक्ष.........

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
14/06/2021
( प्रेमसिंह घरेन्द्र )
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

E:\WRD-2017\WRD 2017\Hindi Letter\AAAA.AADESH.docx

पृ.क्र. 2542 / एफ–7–24 / 31 / एस–2 / 2017, नवा रायपुर, दिनांक 14/06/2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सैक्टर–19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर–अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर, जिला–बिलासपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

14/06/2021

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

MIS